

राजस्थान सरकार



रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र

क्रमांक ३१७/अलवर/२००६-२००७

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री अश्रम संस्था २००५


अलवर जिला अलवर का

राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, १९५८ (राजस्थान अधिनियम नं. २८, १९५८) के


अन्तर्गत रजिस्ट्रीकरण आज किया गया।

यह प्रमाण-पत्र मेरे हस्ताक्षरों और कार्यालय की सील से आज दिनांक ३१/१२/०६

माह ०१/२००७ सन् २००७ को अलवर में दिया गया।



Principal
Shree Ashram The International School
RANETHA, DAUSA



रजिस्ट्रार संस्थायें
अलवर